# हिंदी टाइपिंग/आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना

**1.0 शीर्षक**:

1.1 इस योजना को **'हिंदी टाइपिंग/आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना'** कहा जाएगा।

**2.0 उद्देश्य:**

2.1 इस योजना का उद्देश्य निगम के जिन संबंधित कार्मिकों को हिंदी आशुलिपिक/टाइपिंग का ज्ञान नहीं हैं, उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हिंदी आशुलिपिक/टाइपिंग सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

2.2 भारत सरकार द्वारा आशुलिपिक/टाइपिंग प्रशिक्षण के संबंध में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करना है।

**3.0 व्याप्ति:**

यह योजना एनएचडीसी लिमिटेड के सभी वर्तमान तथा भावी पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/संपर्क कार्यालयों और निगम मुख्यालय सहित निगम के सभी नियमित कार्यपालक/अकार्यपालक निजी सचिवों/ आशुलिपिकों / सहायक पर लागू होगी।

**4.0 पात्रता:**

4.1 निगम के सभी नियमित आशुलिपिक/निजी सचिव आदि, जिनकी नियुक्ति सचिवीय पदों पर की गई है तथा जिनसे डिक्टेशन आदि कार्य कराना अपेक्षित है, वे हिंदी आशुलिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस योजना के तहत प्रोत्साहन पुरस्कार पाने के पात्र होंगे।

4.2 निगम के सभी नियमित सहायक श्रेणी-I, II, III, कार्यालय अधीक्षक आदि जिनसे टाइपिंग कार्य अपेक्षित है वे हिंदी टाइपिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस योजना के तहत प्रोत्साहन पुरस्कार पाने के पात्र होंगे।

4.3 उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने का अभिप्राय भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना है।

4.4 यदि कोई कार्मिक फार्म भरने के उपरांत अपवादी परिस्थितियों में कार्यालयीन कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण सत्रांत परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है और यदि वह अगले सत्र की सत्रांत परीक्षा में शामिल होता है तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो ही वह प्रोत्साहन का पात्र होगा। किंतु ऐसी अपवादी परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालक निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा दावा के साथ अनुमोदन को भी संलग्न करना होगा।

4.5 उपर्युक्त 4.1 व 4.2 में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के बावजूद निम्नांकित कार्मिक इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे: -

4.5.1 जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी आशुलिपिक/टाइपिंग में पहले से ही प्रशिक्षण लिया हुआ है और कंपनी की सेवाओं में आने से पूर्व संबंधित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हों।

4.5.2 ऐसे कार्मिक भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, जिनके लिए हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है अर्थात ऐसे कार्मिक जिनके लिए कार्यालय में अंग्रेजी आशुलिपि/टाइपिंग कार्य करना अपेक्षित नहीं है।

**5.0 प्रोत्साहन एवं सुविधाएं:**

5.1 परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा की जाएगी।

5.2 पाठ्य पुस्तकों व पाठ्य सामग्री आदि की व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी तथा इस पर होने वाले खर्च का वहन निगम द्वारा किया जाएगा।

5.3 कक्षाएं कार्यालय समय में चलाई जाएंगी।

5.4 हिंदी आशुलिपि/टाइपिंग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

5.5 परीक्षा के वास्तविक दिनों के लिए कर्मचारियों को विशेष अवकाश की मंजूरी देते हुए उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा।

5.6 यदि कोई कार्मिक अपने प्रयासों से हिंदी आशुलिपि/टाइपिंग का प्रशिक्षण किसी निजी संस्था से प्राप्त करता है तो ऐसे पाठ्यक्रम के शुल्क की प्रतिपूर्ति निगम करेगा। यह प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी।

5.7 निजी संस्था को भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी या प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी रसीद प्रस्तुत किए जाने पर टाइपिंग प्रशिक्षण के छह माह के लिए अधिकतम रु. 900/- तथा आशुलिपिक प्रशिक्षण के बारह माह के लिए अधिकतम रु.2400/- की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.8 यदि प्रशिक्षण के उपरांत कार्मिक निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में कार्मिक को किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति उससे एकमुश्त वसूल ली जाएगी।

5.9 निर्धारित परीक्षा पास करने पर कार्मिक के सेवा रिकार्ड में इस आशय की प्रविष्टि की जाएगी।

**6.0 पुरस्कार:**

उपर्युक्त मद संख्या 04 में उल्लिखित पात्रता नियमों के अनुसार निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे: -

6.1 संबंधित कार्मिक निर्धारित परीक्षा पास करने पर प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार होंगे: -

| क्र.सं. | हिंदी टाइपिंग के लिए राशि (रुपयों में) | हिंदी आशुलिपि के लिए राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | 97% या इससे अधिक- 2,400 | 95% या इससे अधिक- 2,400 |
| 2. | 95% या इससे अधिक किंतु 97% से कम- 1,600 | 92% या इससे अधिक किंतु 95% से कम- 1,600 |
| 3. | 90% या इससे अधिक किंतु 95% से कम- 800 | 88% या इससे अधिक किंतु 92% से कम- 800 |

6.2 वैयक्तिक वेतन:-

संबंधित कार्मिक हिंदी टाइपिंग/आशुलिपिक परीक्षा पास करने पर उपर्युक्त नकद पुरस्कारों के अतिरिक्त निम्नानुसार वैयक्तिक वेतन पाने के भी पात्र होंगे: -

6.2.1 सहायक श्रेणी-I, II, व III कार्यालय अधीक्षक आदि के कर्मचारियों द्वारा टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।

6.2.2 आशुलिपिक/निजी सचिव आदि द्वारा हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन मंजूर किया जाएगा।

6.2.3 कार्यपालक सचिवों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन मंजूर किया जाएगा।

6.2.4 जिन आशुलिपिकों/निजी सचिवों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 24 माह के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।

6.2.5 वेतन वृद्धि स्वीकृत अवधि के लिए ही देय होगी तथा अवधि के समाप्त होते ही स्वतः बंद हो जाएगी। इस वैयक्तिक वेतन का संबंधित कार्मिक की वरिष्ठता या पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इस वैयक्तिक वेतन पर किसी प्रकार का भत्ता या लाभ नहीं दिया जाएगा।

**7.0 एकमुश्त पुरस्कार:**

यदि कोई कार्मिक निगम की किसी ऐसी परियोजना/यूनिट में पदस्थापित है जहाँ पर हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वह निर्धारित हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि की परीक्षा अपने प्रयासों से सीख कर उत्तीर्ण करता है तो वह निम्नानुसार एकमुश्त पुरस्कार का पात्र होगा। वह कार्मिक जो हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि परीक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से उत्तीर्ण करता है, वह भी एकमुश्त पुरस्कार का पात्र होगा।

हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपिंग परीक्षा रु. 1600/-
हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा रु. 3000/-

**8.0 योजना का प्रबंधन:**

8.1 इस योजना का संचालन निगम मुख्यालय में राजभाषा अनुभाग तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों आदि में वहां के राजभाषा विभाग/मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

8.2 संबंधित कार्यालय का राजभाषा विभाग परीक्षा परिणाम की सूचना संबंधित विभागाध्यक्षों/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के प्रमुखों के माध्यम से संबंधित कार्मिक को देगा।

8.3 संबंधित कार्मिक उक्त पुरस्कारों के लिए परीक्षा परिणाम की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के अंदर अपना दावा निर्धारित प्रपत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करेगा।

8.4 राजभाषा अनुभाग उक्त दावों के सत्यापन की जांच के बाद नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित मानव संसाधन विभाग को अपनी सिफारिशें भेजेगा।

8.5 निगम मुख्यालय में इस योजना पर खर्च होने वाली राशि का भुगतान राजभाषा विभागाध्यक्ष तथा परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/कार्यालयों में सबंधित कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से किया जाएगा।

8.6 उक्त नकद पुरस्कार व वैयक्तिक वेतन के भुगतान के संबंध में मानव संसाधन विभाग नियमानुसार कार्यालय आदेश जारी करेगा।

**9.0 सामान्य:**

9.1 निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए मुख्य कार्यपालक निदेशक के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है।

9.2 यह योजना 01 अप्रैल 2013 से लागू होगी।

----------------[illegible]--------------------

**हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कार/वैयक्तिक वेतन हेतु आवेदन**

1. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :
2. पदनाम :
3. कर्मचारी संख्या :
4. विभाग :
5. वेतनमान एवं मूल वेतन :
6. मातृभाषा :
7. उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम :
8. परीक्षा की तारीख/तारीखें :
9. परिणाम घोषित होने की तारीख :
10. प्राप्त अंक :
11. प्राप्त अंकों का प्रतिशत :
12. क्या आपके लिए हिंदी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है? :
13. (क) क्या आपने केन्द्रीय सरकार की सेवा में आने से पहले यह बयान दिया था कि-

    (I) आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं अर्थात हिंदी टाइपिंग में आपकी गति 25 शब्द प्रति मिनट से अधिक थी। :

    (II) आप हिंदी आशुलिपि जानते हैं अर्थात हिंदी आशुलिपि में आपकी गति 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक थी। :

    ख) क्या आपने पहले से ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिंदी टाइपिंग अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है और कोई परीक्षा पास की है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें। :

## घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त ब्यौरा सही है। यदि उपर्युक्त ब्यौरा गलत या असत्य पाया गया तो मैं वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने पर उसे लौटाने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि तथ्यों का गलत विवरण देकर वैयक्तिक वेतन प्राप्त करने का प्रयत्न करने के लिए मेरे विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर